तारीख हुक्म

क्र०सं० 134/आर (2022/142)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नरेश कुमार बनाम रमेश चन्द

1/7/24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद अधिनियम 5-9 में डिक्री किया जा चुका है। दोनों वाद तुल्य रहती है इसलिये ग्राम वाद नियमावली के सं०क्र० 1, 2, 3 का निराकरण 2.37 के समझौतानामे के बारे में बाद होकर वादी वाद ग्रस्त केवल की समाप्त करते हुए वाद निकाले तथा मौके पर स्थिति बनाये रखने जाने से मूल वाद के अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय होने तक है पत्रावली को पालन किया होकर मूल वाद को दर्ज किया है।

सहायक कलेक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 17:57:13 IST
Reason: SelfAttested